न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 19/24 दायरा दिनांक 20.12.2024

मीरां पुत्री शोभा पत्नि कैलाश उम्र 46 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. आशा पुत्री मथुरा पत्नि अशोक जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी हाल गाडर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. श्रीमति वेवा मथुरा हाल पत्नि श्यामलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. ग्राम पंचायत मुण्डियर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहव शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

रेस्पो.

अपील विरूद्ध आदेश फौती नामान्तरकरण नंबर 178 ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.

निर्णय–दिनांक 08.04.2025

उपस्थित – अपीलाण्ट की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – स्वयं

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कलोनी पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज. में आराजी ख0नं0 95 रकबा 1.19 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के मूलखातेदार शोभा पुत्र दोज्या कौम सहरिया साकिन कलोनी रहे हैं। मूलखातेदार शोभा के एक पुत्र मथुरा (रेस्पो. क्रम 1 के पिता व 2 के पति) एक पुत्री मीरां (अपीलाण्ट) तथा पत्नि सामन्दे रहे हैं, जो मूलखातेदार शोभा के वैध वारिस उत्तराधिकारी हैं। मूलखातेदार शोभा की मृत्यु उपरांत प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 178 के जरिये दर्ज विरासत मात्र पुत्र मथुरा व वेवा सामन्दे के नाम दर्ज कर दी और अपीलाण्ट को विरासत से वंचित कर दिया गया है। जबकि मूलखातेदार शोभा की पुत्री होने से अपीलाण्ट का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था। मूलखातेदार शोभा के खाते की अन्य आराजी ख0नं0 649/68 रकबा 9.12 बीघा ग्राम बेंट दर्ज रही है जिसमें अपीलाण्ट को पिता शोभा से विरासतन हक प्राप्त हुआ है, जिसकी जमाबंदी संवत 2053–56 साथ संलग्न है। दिनांक 19.11.2024 को रिकार्ड देखने पर अपीलाण्ट को सर्व प्रथम ज्ञान हुआ कि उक्त आराजी विरासत में अपीलाण्ट का नाम दर्ज ही नहीं किया गया है, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि उसी दिन तहसील कार्यालय शाहावाद में पुराने रिकार्ड की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन कर दिया तथा हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरण की तैयार शुदा नकल दिनांक [illegible] को प्राप्त कर सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर [illegible] पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:14 IST
Reason: SelfAttested

08/04/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विरासत बावत तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण नम्बर 178 ग्राम कलोनी आदेश ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट का नाम दर्ज करते हुये पुनः नामान्तरण दर्ज किये जाने के सादर आदेश रेस्पो. क्रम 4 को पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 क्रम 1,2 ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया और अपील की मद नंबर 1,2,3,4 को स्वीकार करते हुये अपीलांट को मृत खातेदार शोभा की पुत्री होना बताया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 178 ग्राम कलोनी में मृत खातेदार शोभा पुत्र दोज्या सहरिया के स्थान पर पुत्र मथुरा तथा वेवा सामन्दे का ही नाम दर्ज किया है, जबकि अपीलाण्ट खातेदार शोभा की पुत्री होने से विरासत में हक प्राप्त करने की वैध हकदार थी। संलग्न पत्रावली नकल प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 178 अनुसार खातेदार शोभा की विरासत पुत्र मथुरा तथा वेवा सामन्दे के नाम दर्ज की गई है। अपीलांट खातेदार शोभा की पुत्री है इस बावत रिकार्ड पर अन्य ग्राम बेंट तहसील शाहावाद की नकल जमाबंदी संवत 2053–56 प्रस्तुत है, जिसमें अपीलांट का नाम बतौर पुत्री दर्ज है, इससे साबित है कि अपीलांट खातेदार शोभा की सगी पुत्री है और प्रश्नगत नामान्तरकरण में हक प्राप्त करने की वैध हकदार है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रश्नगत नामान्तरकरण को खारिज करने के लिये ठोस आधार मौजूद हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 178 ग्राम कलोनी को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार शोभा पुत्र दोज्या सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। नामान्तरकरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

08/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:14 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner